CHETANA
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor
SJIF 2024 - 8.029

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

वर्तमान भारतीय शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में अस्थायी अध्यापकों की समस्याओं का अध्ययन

डॉ. नरेन्द्र कुमार पाल
अस्सिटेंट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग
अरमान अली
शोधार्थी, शिक्षा विभाग
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्याय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), वर्धा
Email- drnavinsir@yahoo.in, Mob-9265032070
Email- arman9718839522@gmail.com, Mob-9146442339

……………………………………………………………….
First draft received: 15.01.2025, Reviewed: 24.01.2025
Final proof received: 16.01.2025, Accepted: 19.02.2025

सार-संक्षेप

वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और संसाधनों की सीमितता के चलते अधिकांश महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अस्थायी अध्यापकों की नियुक्ति एक अनिवार्यता बन चुकी है। यह शोध पत्र भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में कार्यरत अस्थायी अध्यापकों की समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। जिसे विभिन्न रिपोर्टों, नीतियों तथा उदाहरणों के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि अस्थायी शिक्षकों को मानसिक तनाव, आर्थिक असुरक्षा, और कार्यस्थल पर भेदभाव जैसी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस अध्ययन के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि जब तक अस्थायी अध्यापकों के लिए एक समेकित राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई जाती जो स्थायित्व, गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करे, तब तक शिक्षा की गुणवत्ता एवं शिक्षक समुदाय का मनोबल प्रभावित होता रहेगा। अतः यह शोध अस्थायी अध्यापकों की स्थिति में ठोस सुधार हेतु नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल देता है।

मुख्य शब्द: *अस्थायी अध्यापक, अस्थायी अध्यापकों की समस्या, उच्च शिक्षा संस्थान आदि.*

परिचय

शिक्षा को मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया माना जाता है। आधुनिक समय में शिक्षा के बदलते हुए स्वरूप के कारण अध्यापकों में पठन-पाठन करवाने के प्रति परिवर्तन दृष्टिगत हो रहे हैं। शिक्षण कार्य के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और शिक्षा के बदलते हुए स्वरूप के कारण अधिकांश महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा संस्थानों और अध्ययन केन्द्रों को अत्यधिक कार्य दबाव का सामना करना पड़ता है। इसके कारण शिक्षण एवं अन्य सभी संबंधित कार्यों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। शिक्षण कार्य से संबंधित समस्त कार्यों की गुणवत्ता को कायम रखने के लिए अध्यापकों की उचित संख्या बल की आवश्यकता होती है, जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन एवं शिक्षा विभाग अध्यापकों की नियुक्ति करते हैं। इन नियुक्तियों में अधिकांश अध्यापक, अस्थायी अध्यापक के रूप में कार्य करते हैं, परंतु अस्थायी अध्यापकों को काफी कम मानदेय पर अधिक श्रम करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकांश विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा संस्थानों, बड़े केन्द्रों पर निर्धारित मानक से अधिक मानव श्रम या मानदेय नही मिलता है। अध्यापक को राष्ट्र का निर्माता कहा जाता हैं, क्योंकि विकास व विनाश अध्यापक की गोद में पलते हैं। अतः अध्यापकों का मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति उन्नत व समृद्ध होनी चाहिए।

अस्थायी अध्यापक

अस्थायी अध्यापक शब्द से ही प्रतीत होता है कि, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा संस्थानों और अध्ययन केन्द्रों में तदर्थ, संविदा, अतिथि शिक्षक के तौर पर कार्य करने वाले अध्यापक को अस्थायी अध्यापक ‘Temporary Teacher’ का दर्जा दिया जाता है। इन अध्यापकों को तदर्थ अध्यापक, संविदात्मक या अनुबंध अध्यापक, अंशकालिक अध्यापक या अतिथि अध्यापक भी कहा जाता है। अस्थायी अध्यापक (Temporary Teacher) अधिकांशतः पूर्णकालिक अध्यापक उपलब्ध न होने पर शिक्षण अधिगम वाले संपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। अनेक उच्च शिक्षा संस्थानों

डॉ. नरेन्द्र कुमार पाल
अरमान अली

में आवश्यकतानुसार अस्थायी अध्यापकों को प्रमुख या प्रसाशनिक पदों पर भी नियुक्त किया जाता हैं।

भारत में अस्थायी अध्यापकों की स्थिति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनेक उद्देश्यों में एक उद्देश्य सन 2035 तक उच्च शिक्षा संस्थानों में 50% सकल नामांकन दर प्राप्त करना हैं। परंतु इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 3.3 मिलियन अध्यापकों की आवश्यकता हैं जिसके द्वारा अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1 : 15 हो सके। इसके अतिरिक्त पीएचडी शोधार्थी वाला विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश होने के पश्चात भी भारतीय उच्च शिक्षा में अध्यापकों की मांग व आपूर्ति में 38% का अंतर हैं। अध्यापकों की कमी की इस गहरी खाई को अस्थायी अध्यापकों के द्वारा भरा जा रहा हैं। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार, भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में कुल 14.16 लाख शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमे से 90418 अस्थायी अथवा अतिथि अध्यापक है। इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में कुल अध्यापकों के 6% अध्यापक अस्थायी अध्यापकों के रूप में कार्यरत हैं। UNESCO की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 42% शिक्षक बिना किसी अनुबंध के काम कर रहे हैं, और उनका औसत मासिक वेतन ₹10,000 से कम है। विशेष रूप से निजी स्कूलों में, 69% शिक्षक बिना अनुबंध के कार्यरत हैं, जिससे उन्हें नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ नहीं मिलते। अस्थायी शिक्षकों को नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, जिससे उनमें अस्थिरता और तनाव की भावना बनी रहती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अस्थायी शिक्षक समरवीर सिंह की आत्महत्या ने इस समस्या को उजागर किया, जब उन्हें स्थायी नियुक्ति की आशा थी, लेकिन नौकरी से हटा दिया गया। इस घटना ने देशभर में अस्थायी शिक्षकों की स्थिति पर बहस छेड़ दी।

अस्थायी अध्यापकों की समस्याएं

अस्थायी अध्यापक भारतीय शिक्षा प्रणाली में रीढ़ का कार्य करते हैं। इसके बावजूद उन्हे समाज में स्थायी शिक्षकों की भांति मान-सम्मान, प्रतिष्ठा व जीवन स्तर नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त अस्थायी अध्यापकों की अनेक समस्याएं होती हैं जो शैक्षिक के साथ-साथ सामाजिक भी होती है। अस्थायी अध्यापकों की कुछ मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं।

उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रयास

अस्थायी अध्यापकों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें बेहतर कार्य परिस्थितियाँ और सम्मानजनक स्थान मिल सके। कुछ विश्वविद्यालयों ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाई है, जिससे मेरिट आधारित चयन सुनिश्चित हो सके। साथ ही, कार्यकाल की स्थिरता हेतु पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए नियुक्ति और समय पर वेतन भुगतान की व्यवस्था की गई है। वेतनमान में सुधार लाकर UGC द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरें लागू की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, अस्थायी शिक्षकों को सेमिनार, वर्कशॉप और फैकल्टी डेवेलपमेंट प्रोग्राम जैसे शैक्षणिक अवसरों में भागीदारी दी जा रही है, जिससे उनके व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिले। कुछ संस्थान विभागीय गतिविधियों में भी उन्हें शामिल करते हैं, जिससे उनके मनोबल में वृद्धि होती है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद नीति के क्रियान्वयन में भिन्नता, सामाजिक सुरक्षा की कमी और स्थायीकरण की स्पष्ट प्रक्रिया न होना अभी भी बड़ी चुनौतियाँ हैं। इसलिए आवश्यक है कि एक ठोस राष्ट्रीय नीति बनाकर अस्थायी शिक्षकों को स्थायित्व, सम्मान और अवसर प्रदान किए जाएँ।

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में कार्यरत अस्थायी अध्यापकों की समस्याओं पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि शिक्षा मानव के समग्र विकास का माध्यम है, परंतु आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अध्यापकों पर कार्यभार तो बढ़ा है, लेकिन उनकी संख्या, स्थायित्व और सम्मान में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। तदर्थ, संविदा, अंशकालिक अथवा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत अस्थायी अध्यापक पूर्णकालिक शिक्षकों की तरह सभी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं, फिर भी उन्हें स्थायी शिक्षकों के समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा और मान-सम्मान प्राप्त नहीं होता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, शिक्षा संस्थानों में नामांकन दर बढ़ाने के लिए 3.3 मिलियन शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में शिक्षकों की भारी कमी को अस्थायी अध्यापक ही पूरा कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार भारत में बड़ी संख्या में शिक्षक बिना अनुबंध के कम वेतन पर कार्य कर रहे हैं, जिससे मानसिक तनाव और असुरक्षा की भावना बनी रहती है। कुछ विश्वविद्यालयों ने पारदर्शी भर्ती, समय पर वेतन, और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सुधार की पहल की है, परंतु नीति के क्रियान्वयन में असमानता, स्थायीत्व की अनिश्चितता और सामाजिक सुरक्षा की कमी जैसी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। अतः अस्थायी अध्यापकों को स्थायित्व, सुरक्षा और गरिमा प्रदान करने हेतु एक समेकित और प्रभावशाली राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है।

संदर्भ

कुमारी,. डॉ. बिभा. (2024, मार्च-अप्रैल). गेस्ट फैकल्टी इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम : इशू एण्ड चलेंजेस. *इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसप्लनेरी रिसर्च.* वॉल. 6 (2).

बीट., डी. यू. (2023, मई 2). डीयू प्रोफेसर'स सुसाइड ब्रिंग एड-हॉक क्राइसिस टू फोर्फ्रन्ट. *डीयू बीट – डेल्ही यूनिवर्सिटी'स इंडिपेंडेंट स्टूडेंट न्यूज़पेपर.* रेतराइवेद 12 मई 2023.

मेहता, ए. सी. (2023, अगस्त 15). पैरा-टीचरस इन इंडिया 2023. एजुकेशन फॉर ऑल इन इंडिया. https://educationforallinindia.com/para-teachers-in-india-2023

स्किल आउट्लुक. (2019, दिसंबर 10). *आउट ऑफ 14 लाख टीचिंग स्टाफ, मोर दैन 90 थाउजेंड आर टेम्परेरी टीचरस इन*

यूनीवर्सिटीस एण्ड कॉलेजस. https://skilloutlook.com/govt-jobs/out-of-14-lakh-teaching-staff-more-than-90-thousand-are-temporary-teachers-in-universities-colleges

बोस., आर. आर. (2021, ऑक्टोबर 6) *लो वेजेस, नो कान्ट्रैक्ट : यूनेस्को रिपोर्ट शोज स्कूल टीचरस इन इंडिया कॉट इन वेब ऑफ निग्लेक्ट.* आउट्लुक इंडिया. https://www.outlookindia.com/national/india-news-low-wages-no-contract-school-teachers-in-india-caught-in-web-of-neglect-news-396764

मिश्रा, आर. (2021). चलेंजेस ऑफ टेम्परेरी फैकल्टी इन इंडियन हाइयर एजुकेशन. *जर्नल ऑफ एजुकेशन एण्ड सोसाइटी.* 9(2), 45–57.

शर्मा, एस. (2022). पॉलिसी गैपस एण्ड परेकारिटी : थे स्टेट ऑफ कन्ट्रैक्चूअल टीचरस इन इंडिया. *इकनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली.* 57(14), 34–40.

भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. (2020). *रिपोर्ट ऑफ द कमिटी टू रिव्यू द फंकसीनिग ऑफ कन्ट्रैक्चूअल टीचरस इन हाइयर एजुकेशन इंस्टीटयूसन्स.* https://www.education.gov.in

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग. *गाइडलाइंस फॉर इंगेजिंग गेस्ट/टेम्परेरी फैकल्टी इन यूनिवेरसिटीज एण्ड कॉलेजस.* https://www.ugc.ac.in

उच्च शिक्षा विभाग. (2023). ऑल इंडिया सर्वे ऑन हाइयर एज्यूकैशन 2021-22. भारत सरकार. https://aishe.gov.in

द हिन्दू. (10 अप्रैल, 2023). प्रीसियस लाइवस : द स्टोरी ऑफ इंडियास एड़-हॉक टीचरस. https://www.thehindu.com

इंडियन एक्सप्रेस. (5 अगस्त, 2022). यू जी सी रैज़ मिनिमम पे फॉर गेस्ट लेक्चररस. https://indianexpress.com